राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ. 13(1) ( ) निमअ/SHG/राशन दुकान/2010–11/51607-40 जयपुर, दिनांक 13-9-13

कार्यक्रम अधिकारी,
महिला अधिकारिता,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित उचित मूल्य की दुकानों को दुकान संचालन हेतु एक मुश्त राशि ₹75000 जारी करने के संदर्भ में दिशा निर्देश बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2009–10 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रत्येक जिले में 10 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन महिला स्वयं सहायता समूहों को करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु दुकान संचालन के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को एक मुश्त अनुदान ₹75000 देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जायेगी जिसे निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 5329 दिनांक 07.02.13 की शर्तों के अधीन जारी की जायेगी (जिसकी प्रति साथ में संलग्न है)।

साथ ही जिला रसद अधिकारी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को उचित मूल्य की दुकान आवंटन का प्राधिकार पत्र एवं जिला रसद अधिकारी के कार्यालय आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सही प्रकार से दुकान संचालन का कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को हार्डकॉपी में भिजवाते हुए विभाग की ईमेल–we.wshgi@gmail.com पर सॉफ्ट कापी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि सम्बन्धित महिला स्वयं सहायता समूह को दुकान संचालन के लिये एक मुश्त सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. मुक्ता अरोड़ा)
अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ. 13(1) ( ) निमअ/SHG/राशन दुकान/2010–11/51641-708 जयपुर, दिनांक 13-9-13

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
2. उपनिदेशक मबावि, समस्त।
3. प्रोग्रामर, म.अ. को विभागीय बेव साइड पर अपलोड़ कराने हेतु।

कार्यक्रम अधिकारी (R)

E/dinesh chand ji/Letter dinesh chand 13-Sep-13

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक एफ·17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 27.04.2012

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देश

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवंटन प्रक्रिया के दिशा–निर्देश बनाए जाते हैं। पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में न्यायाधिपति वाधवा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों को कम्प्यूटराईजेशन करने के संबंध में पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह व सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों को अधिकृमित करते हुए रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की आवंटन प्रक्रिया के लिए निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

आवंटन प्रक्रिया

2 आवेदन पत्र आमंत्रित करना:–

(क) रिक्तियों का निर्धारण कर जिला कलक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर इन रिक्तियों का विवरण समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों में जिला जन सम्पर्क अधिकारी के मार्फत प्रेस नोट जारी कर विज्ञप्ति जारी करायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छाया चित्र लगा होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र आवेदक द्वारा संलग्न किये जावेंगे:–

(i) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वॉर्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वॉर्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डों में से किसी एक वॉर्ड का निवासी होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वॉर्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

(ii) "शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए"। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह शपथ–पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(iii) पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्ड़ित नहीं होने, दुकान का संचालन स्वयं करने, परिवार के किसी सदस्य यथा–माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता–पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से ही दुकान नहीं होने का शपथ पत्र व कोई विधिक अयोग्यता नहीं होने का शपथ पत्र।

(iv) प्रस्तावित दुकान का नक्शा जो प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संविक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।

(v) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 25,000/– रूपये का हैसियत का प्रमाण पत्र।

(vi) आवेदक बालिग स्वस्थ चित्त हो एवं चाल–चलन ठीक हो तथा दिवालिया घोषित न हुआ हो।

(vii) दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुँच सके तथा दुकान से आटे की चक्कीं, परचूनी की दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढ़ाबा एवं इसी प्रकार की अन्य संस्थान सुरक्षित दूरी पर हो।

(viii) आवेदक पूर्व के 10 वर्षों की अवधि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्ड़ित नहीं हुआ हो, ना ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, बाबत घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

(ix) उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो भविष्य में ऐसे आवेदकों को कभी भी उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावे।

(ग) नियत तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा कर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से आवेदक की पात्रता एवं दुकान के प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता बाबत स्पष्ट टिप्पणी उपरोक्त बिन्दुओं पर ली जावे। समस्त आवेदन पत्रों को सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय करने का अधिकार सलाहकार समिति को ही होगा।

(घ) आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

2. आवंटन सलाहकार समितिः—

प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अभिशंषा हेतु निम्न सदस्यों की तहसील स्तरीय समिति गठित होगीः—

(i)	<u>नगरीय क्षेत्रों हेतुः—</u>		
(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद्/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत बोर्ड का निर्वाचित सदस्य		सदस्य
(ग)	उप—निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

(ii)	<u>ग्रामीण क्षेत्रों हेतुः—</u>		
(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग)	उप—निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा नामांकित अधिकारी		विशेष आमंत्रित सदस्य
(घ)	सहकारिता विभाग का जिला उप—पंजीयक अथवा सहायक पंजीयक		विशेष आमंत्रित सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के		
(i)	सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
(ii)	उपभोक्ता	एक	सदस्य
(iii)	महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर इन्हें हटाये जाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों से इस बाबत शपथ—पत्र प्राप्त किया जाये कि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों के साक्षात्कार की सूची में मेरे परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। यदि कोई परिवार का सदस्य साक्षात्कार के लिए पात्र है, तो उक्त चयनकर्ता साक्षात्कार समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्यों को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में तभी आमंत्रित किया जावे, जबकि प्राथमिकता क्रम 3(क) (i) एवं (ii) के आवेदन प्राप्त हुए हों तथा साक्षात्कार के लिए पात्र हो।

3. प्राथमिकता क्रमः— उक्त समिति से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रों पर

विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण की जावेगीः–

(क) प्रथम चरण में वरीयता सूची निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगाः–

(i) "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से ~~चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा आवेदक आवंटन की अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो ऐसे~~ आवेदक का चयन किया जावेगा।"

(ii) सहकारी समितियाँ (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)

(ख) प्रथम चरण की वरीयता में चयनित आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो ही शेष निम्न प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित आवेदकों का क्रमशः नियमानुसार चयन किया जावेगाः–

(i) शिक्षित बेरोजगार

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति

(iii) महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।

(v) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग से भरी जावेंगी।

(vi) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 45 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा नियमों के प्रावधान तथा उपरोक्तानुसार वरीयता क्रम के आधार पर किसी व्यक्ति/संस्था के चयन के संबंध में बहुमत से की गई अभिशंसा को मानना जिला कलक्टर के लिये अनिवार्य होगा।
- किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा अपनी अभिशंसा पृथक्–पृथक् स्वयं के स्तर से लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। सभी अभिशंसा पत्रों को इकजाई कर निर्णय लिया जायेगा।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था पर बराबर मत होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंसा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं ऐसे प्रकरणों को जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी निकालकर निर्णित किया जायेगा।
- सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से अभिशंसा प्राप्त की जावे, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिए कि गत 3 ऑड़िट रिपोर्टों में गंभीर अनियमितता किया जाना पाया गया है अथवा नहीं।
- आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिये एक नाम रिजर्व सूची के रूप में प्रस्तावित किया जावेगा। यदि कभी भी उचित मूल्य दुकान की डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होता है, तो रिजर्व सूची से तत्काल नियुक्ति की जावेगी।

आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जावेगीः–

(i) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की राय के आधार पर ही अनुशंषा किया जाना अपेक्षित है। अनुपस्थित सदस्यों की राय प्राप्त करना प्रथम दृष्टया विचार योग्य नहीं है।

(ii) आवंटन सलाहकार समिति की आयोजित बैठक में निर्णय/अभिशंषा नहीं होने पर ही उन्हीं दुकानों के मामले व उसी विज्ञप्ति के आधार पर पुनः बैठक आयोजित की जा सकती है अन्यथा पुनः बैठक आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। कतिपय कारणों से बैठक पुनः बुलाई जाना प्रस्तावित हो, तो इसके लिये आवंटन सलाहकार समिति के अनुपस्थित सदस्यों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उपस्थित सदस्यों को तत्समय ही अगली तिथि नियत कर लिखित में नोट करा लेना चाहिए।

(iii) आवंटन सलाहकार समिति के किसी सदस्य विशेष (समिति के अध्यक्ष को छोड़कर) की उपस्थिति अनिवार्य होने का कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित चार का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

4. <u>प्राधिकार पत्र जारी करना:--</u>

चयनित अभ्यार्थियों को जिला कलक्टर द्वारा फोटो युक्त प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस हेतु चयन की सूचना से आवेदक को अवगत कराया जाकर निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने के निर्देश दिये जावेंगे। उचित मूल्य की दुकान रिक्त होने पर यथासम्भव आवंटन की समस्त प्रकिया एक माह में पूर्ण करली जावेगी। चयनित व्यक्ति का छायाचित्र अध्यक्ष, आवंटन समिति द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

5. <u>मृत डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आवंटन:--</u>

उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के निम्न सदस्यों में से एक को निम्न वरीयता क्रम से दुकान आवंटित कर प्राधिकार पत्र को संशोधित किया जावेगा:--

5. मृतक की विधवा
6. बालिग पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
7. विधवा पुत्रवधु जो मृतक पर आश्रित हो
8. विधवा पुत्री

उपरोक्तानुसार प्राथमिकता क्रम से आवंटन किया जावेगा। यदि प्राथमिकता क्रम में कोई व्यक्ति दुकान आवंटन नहीं कराना चाहता हो अथवा अर्हताऐं पूर्ण नहीं करता हो, तो अन्य सभी आश्रितों से आवेदक को अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त कर शपथ--पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6. <u>सामान्य:--</u>

प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर शिकायत एवं निरीक्षण पुस्तिकाएँ रखी जावे तथा प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

8 निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
10 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
12 समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
13 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
14 रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उपशासन

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक पं. 13(1)( )/निमअ/एस.एच.जी./राशन दुकान/12–13/ 5329 दिनांक 7-2-13

परिपत्र

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इस विभाग के अधीन संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों के आवटंन के समय इन्हें एक मुश्त सहायता (One Time Grant) रूपये 75,000/– दी जाती है। यह सहायता राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जावेगी:–

1. सामान्य परिस्थिति में समूह को आवंटित राशि वापिस नहीं ली जायेगी।
2. निम्न स्थितियां उत्पन्न होने पर समूह को दी गई राशि एक मुश्त रूप में बिना ब्याज के वापिस ली जा सकेगी :–
   - यदि समूह द्वारा उचित मूल्य की दुकान का संचालन 10 वर्ष से पहले बन्द कर दिया जाता है।
   - यदि समूह के विरूद्व उचित मूल्य की दुकान संचालन में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होती है।
   - यदि समूह द्वारा उचित मूल्य की दुकान किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे दी जाती है।
   - यदि समूह किसी भी कारण से डिफाल्टर/ब्लेक लिस्ट घोषित कर दिया जाता है।
3. समूह द्वारा उचित मूल्य की दुकान का संचालन नियमानुसार एवं नियमित रूप से किये जाने संबंधी आशय का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिले के कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता द्वारा प्रतिवर्ष निदेशालय को भिजवाना होगा।

यह निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या–161300131 दिनांक 31.01.13 द्वारा अनुमोदित है।

यह शर्तें उचित मूल्य की दुकानों के संचालन हेतु पूर्व में आवंटित महिला स्वयं सहायता समूहों पर तथा भविष्य में आवंटित किये जाने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों पर लागू होगी।

(डॉ0 सरिता सिंह)
आयुक्त, महिला अधिकारिता
एवं शासन सचिव, महिला
एवं बाल विकास
राज., जयपुर।

क्रमांक पं. 13(1)( )/निमअ/एस.एच.जी./राशन दुकान/12–13/ 5330-495 जयपुर,दिनांक 7-2-13

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं शासन सचिव मबावि, जयपुर।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
7. मुख्य लेखाधिकारी, म.अ., राजस्थान, जयपुर।
8. जिला रसद अधिकारी, समस्त।
9. उपनिदेशक, मबावि, समस्त।
10. कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. समस्त।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)

D:\letter mudgal ji nabard table